सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 06.07.2021

अन्तर्जनपदीय ए0टी0एम0 चोर गिरोह का पर्दाफाश, सरगना सहित 03 गिरफ्तार, 10 अदद ए0टी0एम विभिन्न बैंको के, 03 अदद ब्लैक कार्ड, 01 अदद स्विफ्ट डिजायर कार (कीमत–7,00,000/–), 02 अदद मोटरसाईकिल(कीमत–1,50,000/–), 51,000/– नगद सहित करीब 9,00,000/– की सम्पत्ति बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत शातिर/वांछित अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे। जिसके तहत थाना मनकापुर पुलिस व एसओजी/साइबर टीम को बड़ी सफलता मिली है।

थाना मनकापुर पुलिस व एसओजी/साइबर सेल की संयुक्त टीम ने 03 अन्तर्जनपदीय शातिर पेशेवर ए0टी0एम0 चोरो को गिरफ्तार किया है। **जिनके पास से विभिन्न घटना में ठगी किये गए 51,000 रुपया नगद,** 10 अदद विभिन्न बैंको के ए0टी0एम0 कार्ड, 03 अदद ब्लैंक कार्ड, 01 अदद कार स्विफ्ट डिजायर, 02 अदद मोटर साइकिल अपाचे, 03 अदद गाड़ियों के नम्बर प्लेट, 02 अदद देशी तमंचा नाजायज 12 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 01 अदद देशी रिवाल्वर नाजायज .38 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .38 बोर बरामद हुआ है। **पकड़े गए ए0टी0एम0 चोरो का सरगना अखिलेश पाण्डेय उर्फ नान्हू पाण्डेय है जो कि एक शातिर पेशेवर ए0टी0एम0 चोर के साथ थाना मनकापुर का हिस्ट्रीशीटर व टॉप–10 अपराधी भी है। जिसपर ए0टी0एम0 चोरी, ठगी, धोखाधड़ी, हत्या व कई अभियोग पंजीकृत है**
अभियुक्तगणों से बरामद स्विफ्ट डिजायर कार कीमत– 7,00,000/– रू0 , 02 अपाचे मोटरसाईकिल कीमत–1,50,000/– रू0 बरामद नगद 51,000/– सहित कुल 9,00,000/– की सम्पत्ति बरामद की गयी है।

अपराध करने का तरीकाः–

कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि ये लोग ए0टी0एम0 रूम के आस–आप मौजूद रहकर ए0टी0एम0 का सही से इस्तेमाल न कर पाने वाले भोले–भाले लोगो पर निगाह रखते है जब ऐसे लोग अज्ञानता या नेटवर्क प्रोब्लम या हमारे द्वारा ए0टी0एम0 मशीन बटनो में की गयी छेडछाड की वजह से पैसा नही निकाल पाते है तो मदद करने के नाम पर लोगो का ए0टी0एम0 बदल देते है और बातचीत करते–करतें ए0टी0एम0 का पासवर्ड जान लेते है फिर उस व्यक्ति के जाने के बाद उसी के ए0टी0एम0 व पासवर्ड की सहायता से पैसा निकाल लेते है। अभियुक्तो ने बताया कि ठगी और धोखाधड़ी का यह काम जनपद गोण्डा के अलावा बस्ती, अयोध्या, सन्तकबीर नगर आदि अन्य जनपदों में भी कर रहे थे। बरामद कार, मोटरसाईकिल व नम्बर प्लेटो के बारे में अभियुक्तगणो ने बताया कि पकड़े जाने से बचने के लिए वो अक्सर अपने इन वाहनों के नम्बर प्लेट बदल–बदलकर विभिन्न स्थानो पर ए0टी0एम0 ठगी का काम कर रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. अखिलेश पाण्डेय उर्फ नान्हू पुत्र बृजबिहारी पाण्डेय निवासी हरसिंघवा चौहानपुर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. सुशील कुमार विश्वकर्मा पुत्र लल्लन विश्वकर्मा निवासी लोहारनपुरवा मरौची धुसवा खास थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. लल्लू विश्वकर्मा उर्फ सूर्य कुमार पुत्र सोमई निवासी लोहारनपुरवा मरौची धुसवा खास थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः–

01. मु0अ0सं0–186/21, धारा–411,413,419,420,467,468,471 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–187/21, धारा–3/25 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–188/21, धारा–3/25 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–189/21, धारा–3/25 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु.अ0सं0–310/21, धारा–410,417 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा। दिनांक–27/28.01.2021
02. मु0अ0सं0–508/21, धारा–420 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा। दिनांक–30.06.2021
03. मु0अ0सं0–84/21, धारा–420,379 भादवि थाना अयोध्या जनपद अयोध्या।
04. मु0अ0सं0–148/21, धारा–379,420 भादवि थाना अयोध्या जनपद अयोध्या।
05. मु0अ0सं0–759/20, धारा–419,420,413,379,411 भादवि थाना घनघटा सन्तकबीर नगर।

बरामदगीः–

01. रू0 51,000/–
01. 02 अदद मोटर साइकिल अपाचे
02. 01 अदद कार मारुती स्विफ्ट डिजायर
03. 03 अदद गाड़ियों के नम्बर प्लेट।
04. 10 अदद एटीएम विभिन्न बैंको के।
05. 03 अदद ब्लैंक कार्ड।
06. 02 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।
07. 01 अदद अवैध रिवाल्वर .38 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस .38 बोर।

अभियुक्त अखिलेश पाण्डेय उर्फ नान्हू का अपराधिक इतिहासः–

अभियुक्त अखिलेश पाण्डेय उर्फ नान्हू थाना मनकापुर का हिस्ट्रीशीटर व टाप–10 का अपराधी है जिसके विरूद्ध जनपद गोण्डा के अतिरिक्त विभिन्न जनपदों में कई अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त सुशील कुमार विश्वकर्मा का अपराधिक इतिहासः–

01. मु0अ0सं0–84/21, धारा 420,379 भादवि थाना अयोध्या जनपद अयोध्या।
02. मु0अ0सं0–148/21, धारा 379,420 भादवि थाना अयोध्या जनपद अयोध्या।
03. मु0अ0सं0–310/21, धारा 410,417 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–08/21, धारा 420 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त लल्लू विश्वकर्मा उर्फ सूर्य कुमार का अपराधिक इतिहासः–

01. मु0अ0सं0–84/21, धारा 420,379 भादवि थाना अयोध्या जनपद अयोध्या।
02. मु0अ0सं0–148/21, धारा 379,420 भादवि थाना अयोध्या जनपद अयोध्या।
03. मु0अ0सं0–310/21, धारा 410,417 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–508/21, धारा 420 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम

01. उ0नि0 रामप्रकाश यादव मय टीम।
02. उ0नि0 सुनील कुमार सिंह प्रभारी एस0ओ0जी0 मय टीम।
03. का0 हरिओम टण्डन साइबर सेल।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 06.07.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–26 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. सोमनाथ सिंह पुत्र शीतला प्रसाद निवासी उदयपुर ग्रन्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–222/21, 02. अजय सिह पुत्र नरसिंह निवासी गनवरिया कला थाना सोनहा जनपद बस्ती के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–223/21, 03. शिवनरायन सिह पुत्र श्रीपति सिह निवासी मरवटिया थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–224/21, 04. शत्रोहन पुत्र बाबू राम पासी निवासी उदयपुरग्रन्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 490 ग्राम नौसादर व 850 ग्राम यूरिया बरामद कर मु0अ0सं0–225/21 धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. पिन्टू सोनकर पुत्र बाले निवासी नेवादा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–159/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना कर्नलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राजू पुत्र मैकू निवासी गौरा सिहनापुर थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–251/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. मिठ्ठू लाल पुत्र स्व0 रामदेव निषाद निवासी मलाहनपुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–187/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामजियावन पुत्र गौरा यादव निवासी मजरेठिया थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–504/21, 02. संगम पुत्र सन्तराम निवासी लक्ष्मनपुर हरिवंश थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–511/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

<u>सराहनीय प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 06.07.2021</u>

<u>शातिर चोर गिरफ्तार, 01 जोड़ी पायल व अवैध तमंचा कारतूस बरामदः–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त गोनू पासी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मस 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। बरामद पायल के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि यह पायल मैने पिछले साल थाना को0 नगर क्षेत्र के एक घर से चोरी की थी। **<u>जिसके सम्बन्ध में थाना को0 नगर में मु0अ0सं–968/20, धारा 457,380 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त थाना परसपुर के मु0अ0सं0–08/21, धारा 379 भादवि, मु0अ0सं0–24/21, धारा 401 भादवि में भी वांछित चल रहा था।</u>**

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>
01. गोनू पासी पुत्र विश्राम पासी नि0 राजकुमार पुरवा मौजा मरचौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>
01. मु0अ0सं0–150/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

<u>अनावरित अभियोग–</u>
01. मु0अ0सं0–968/21, धारा 457,380 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगीः–</u>
01. 01 जोड़ी पायल सफेद धातु।
02. 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>
उ0नि0 संजीव कुमार चौहान मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 06.07.2021

ट्रको से डीजल चोरी व जालसाजी करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस ने मु0अ0सं0–16/21, धारा 401,420,467,468,471 भादवि से वांछित अभियुक्त– गुड्डू पाठक उर्फ राघवेन्द्र पाठक को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. गुड्डू पाठक उर्फ राघवेन्द्र पाठक पुत्र गजराज पाठक नि0 केडिया अस्पताल के पीछे थाना को0 देहात जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–16/21, धारा 401,420,467,468,471 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 धर्मराज मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल
जनपद गोण्डा दिनांक 06.07.2021

नाजायज चाकुओं के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर 02 अभियुक्तों– अनुपम मिश्रा व अनुपम पाण्डेय को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01–01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना इटियाथोक में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. अनुपम मिश्रा पुत्र रमेश मिश्रा नि0 करूआपारा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. अनुपम पाण्डेय उर्फ रिंकू पुत्र शिवानन्द पाण्डेय नि0 करूआपारा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–208/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–209/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 02 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता–

01. उ0नि0 शादाब आलम मय टीम।